

नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL BICYCLE CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



४३ वी वार्षिक रिपोर्ट २०२३-२०२४
43RD ANNUAL REPORT 2023-2024



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशक मंडल

निदेशक गण :

श्री विनायक जोगलेकर	- अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक
श्री अरुण कुमार दीवान	- निदेशक
श्री नरेश कुमार	- निदेशक

कानूनी लेखापरिक्षक :

मेसर्स परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स।
103, नम्रता को. आॅप.हौ.सो,लिमिटेड
बिल्डिंग नंबर १५, शास्त्री नगर, लिंक रोड,
गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई - 400 104

बैंकर्स :

बैंकऑफ बडौदा

पंजीकृत कार्यालय :

250, वरली,
पोस्ट प्रभादेवी,
मुंबई - 400 030

कारखाना :

वरली, मुंबई
हिन्दनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

विषय सूची

नोटीस	3
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	5
लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट	11
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तुलनपत्र	23
तुलनपत्र	28
लाभ-हानी	29
हिस्से के रूप में अनुसुचियां	31



नेशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

CIN: U35921MH1980GOI023354

Registered Office: 250, Worli, P.O.Prabhadevi, Mumbai – 400 030

Phone: 022 – 24934669

Website: www.nbcil.com, Email: nbcil.mumbai@gmail.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 43वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार 30 जुलाई, 2024 @ 3 बजे को दोपहर में ऑनलाइन से अशकालीन सूचना का प्रस्ताव किया गया निम्न कार्य निष्पादन करने हेतु सम्पन्न होगी।

साधारण व्यापार :

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि खाता एवं इस दिनांक का तुलन पत्र तथा इस पर निदेशक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और अपनाना। एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी धारा 143 (6) (b) कम्पनी अधिनियम 2013. 11.07.2024 को प्राप्त हुए।
2. निदेशक मंडल को वर्ष 2024-2025 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण के लिए पराधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेश से,

हस्ता/-

(विनायक भालचंद्र जोगलेकर)
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23rd July, 2024



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

नोट :

1. भाग लेने और बैठक में वोट के हकदार 1 एक सदस्य बजाय उस की बैठक में एक प्रॉक्सी या परदे के पीछे भाग लेने के लिए और वोट नियुक्त करने का हकदार है। उसे स्वयं और छँड कंपनी के एक सदस्य होने की जरूरत नहीं।
2. प्रभावी होने के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के साथ दर्ज कराई जानी चाहिए।
3. जिस सदस्य को वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए खातों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वार्षिक साधारण सभा के पहले लिखित रूप से दें।
4. सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है/की जाएगी और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में तय किया जाता है। सामान्य बैठक सीएजी की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकती है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने वार्षिक प्रतिवेदन को बैठक की प्रतियाँ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता/-

विनायक भालचंद्र जोगलेकर
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 23rd July, 2024



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

सज्जनों,

अपने निदेशकों की 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का लेखा परीक्षित विवरण के साथ एक साथ कंपनी की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में खुशी हो रही है।

1. उत्पादन और ओपरेटिंग परिणाम :

(लाखों रुपये)

विवरण	चालू वर्ष 2023-2024	गत वर्ष 2022-2023
विक्री और अन्य लाभ	18.14	67.37
राजस्व व्यय	86.18	83.71
ब्याज और मुल्यतास से पहले	(68.04)	(16.34)
मुल्यतास	0.17	0.23
ब्याज	2095.02	2092.79
शुद्ध लाभ / हानि	(2163.23)	(2109.35)

2. लाभांश भुगतान :

कंपनी और कंपनी द्वारा किए गए नुकसान के बंद को देखते हुए अपने बोर्ड पर चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश की सिफारिश नहीं करता।

3. उच्च न्यायाल के निर्णय का संदर्भ :

माननीय उच्चन्यायलय के आदेश दिनांक 19-12-2019 के द्वारा वी आई एफ आर का आदेश दिनांक 20.12.1993 केस नं.5, 1992 को वापिस लिया.



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4. कंपनी के बंद :

कंपनी का संचालन बंद w.e.f 21/07/2001 श्रम मंत्रालय, श्रमशक्ति श्रमशक्तिभवन द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, नई दिल्ली को अपने पत्र सं एल 42024/6/2001 / आईआर(विविध) दिनांक 06/06/2001 खबरदार.

5. मानव स्रोतों :

कंपनी के रोल पर कोई कर्मचारी नहीं हैं।

6. सांविधिक आवश्यकताओं :

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण और अर्जित विदेशी मुद्रा और खर्च के संरक्षण यह प्रासंगिक नहीं है, कम्पनी 21.7.2001 से बंद है वित्तीय वर्ष के दौरान 2023-24

7. हिन्दी के उपयोग :

कंपनी का राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बढ़ावा प्रयास जारी रखा है।

8. जमा :

विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

9. वार्षिक रिटर्न :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यकतानुसार 31 मार्च, 2024 तक वार्षिक रिटर्न तैयार किया गया है।

10. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति / इस्तीफा साल के दौरान :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में नियुक्तियों / इस्तीफे आदि का विवरण निम्नानुसार था;



नॉशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रमांक	नाम	पदनाम	परिवर्तन की प्रकृति	अधिसूचना / सरकार का आदेश, यदि कोई हो
1	श्री अरुण कुमार दीवान	नामांकित निदेशक	11.11.2023 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त	एफ.सं. 7.07/2/2018-पीईवी/ सीपीएसई-II (एनबीसीआईएल) भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग का पत्र दिनांक 11.11.2023
2	श्रीमती. सुषमा बत्रा	नामांकित निदेशक	11.11.2023 से नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त	एफ.सं. 7.07/2/2018-पीईवी/ सीपीएसई-II (एनबीसीआईएल) भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग का पत्र दिनांक 11.11.2023

11. निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के संबंध में विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	निदेशक का नाम	कार्यकाल (2023-24) में के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठक की संख्या	वार्षिक बैठक में उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या (26.09.23)
1	श्री अरुण कुमार दीवान	4	1 (19/12/23)	वार्षिक बैठक के समय बोर्ड पर नहीं थे
2	श्रीमती. सुषमा बत्रा	4	2 (28/4/23, 09/8/23)	अनुपस्थित
3	श्री. नरेश कुमार	4	4 (28/4/23, 9/8/23, 7/11/23 & 19/12/23)	भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित
4	श्री. विनायक जोगलेकर	4	4 (28/4/23, 9/8/23, 7/11/23 & 19/12/23)	उपस्थित



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण :

निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यकता अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है :

- i. 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी के लिए, लागू लेखा मानकों का भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है।
- ii. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके। और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का।
- iii. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था।
- iv. यह कि निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए थे।
- v. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

13. लेखा परीक्षक :

एमएस. परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

14. प्रत्येक योग्यता, आरक्षण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी या लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की

गई प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण :

बोर्ड आम तौर पर जारी चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करते समय नोट संख्या 2 में लेखा परीक्षकों द्वारा ध्यान आकर्षित करने के बारे में जानता है।



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

15. निर्धारित प्रपत्र में धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है और इसलिए यह खड़ लागू नहीं है।

16. सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं ।

दो तिथियों के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए हैं जो रिपोर्ट करने योग्य हैं।

17. लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में प्रकटीकरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी पर लागू नहीं होता है।

18. कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण :

उक्त प्रावधान (सीएसआर के लिए) लागू नहीं हैं।

19. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178 (1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुण, की स्वतंत्रता से संबंधित कोई नीति तैयार नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के तहत प्रदान किए गए निदेशक और अन्य संबंधित मामले।

20. विनियम, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण सामग्री आदेशों का विवरण :

नियामकों, अदालतों, या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

21. यौन उत्पीड़न :

कंपनी के पेरोल पर कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसा कोई मामला दर्ज / रिपोर्ट नहीं किया गया था।

22. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति सहित वर्ष के दौरान लंबित कार्यवाही :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के तहत न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्यवाहा

23. सचिवीय मानक :

कंपनी ने बोर्ड और कंपनी की आम बैठकों में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

24. पावती :

निदेशक केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

निदेशक भी C&AG, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और हमारे बैंकरों को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक भी सभी संबंधितों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

विनायक भालचंद्र जोगलेकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीन - 08442219

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30th May, 2024



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट और उस वर्ष के लिए लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यातक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और लेखांकन के अनुरूप सही और निष्क्रिय दृश्य देते हैं। 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांत, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नुकसान और इसका नकदी प्रवाह।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है। रिपोर्ट हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैस जो कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

हम चालू चिंता के मूलधन पर वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए नोट संख्या 23 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी के पास उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। खातों की पुस्तकों में प्रदान की गई गैर-वर्तमान देनदारियों के कुल मूल्य से अधिक है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।



नेशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

SA 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से प्रतीत होता है गलत।

यदि, इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य सूचनाओं पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्क्रिय दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, कि हम वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्क्रिय प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, जो एक सही और निष्क्रिय दृश्य देते हैं और इससे मुक्त हैं भौतिक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चल रही संस्था से संबोधित मामलों और लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।



नॉशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उमीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों के पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोकिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्रवारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद, तो हमें अपने लेखा परीक्षक कि रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षक साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और कहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आर्डर”) द्वारा आवश्यक के रूप में, हम देते हैं अनुबंध आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक।

2. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम के निम्नलिखित गैर-अनुपालन देखे गए :

- कंपनी लिमिटेड कंपनी हेने के कारण वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2022 की धारा 3 और 3ए की आवश्यकता के अनुसार 7 (सात) शेयरधारक नहीं थे।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत कंपनी द्वारा ऑडिट कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

ग) तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण इस रिपोर्ट में लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च 2024 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक कोई भी निदेशक धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है। अधिनियम के।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, “अनुलग्नक बी” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

जी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।



नैशनल बार्डिसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ज) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- i. कंपनी ने नोट संख्या में लंबित मुकदमों के विवरण का खुलासा किया है। 22, हालांकि इसका वित्तीय प्रभाव प्रबंधन द्वारा निर्धारित/मात्रात्मक नहीं है।
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित नुकसान नहीं था, जिसके लिए किसी भी कानून या लेखा मानकों के तहत प्रावधान की आवश्यकता होती है जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान होता है; तथा
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - iv.
- a. प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व किया है कि, खातों में नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए व्यक्ति या संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करते हैं;
 - b. प्रबंधन ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करें।
 - c. हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर जो परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाती है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।
 - v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।
3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध-सी में हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अवलोकन।

परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 119728W/W100473

हस्ता/-

राकेश चतुर्वेदी

भागीदारों

एम.संख्या : 102075

यूडीआईएन : 24102075BKFKJ2511

दिनांक : May 30, 2024

जगह : मुंबई



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए “अनुबंध ए”।

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” शीर्षक के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

1. a. (A) कंपनी ने संचालन के आकार और संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
(B) कंपनी के पास अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (i) (बी) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - b. जैसा कि हमें बताया गया है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में हमारी राय में उचित है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, ऐसे भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।
 - c. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) वित्तीय विवरणों में कंपनी के नाम पर हैं।
 - d. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - e. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रतिनिधित्व के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
2. a) चूंकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वस्तुसूची के साथ काम नहीं किया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ii) (ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
b) चूंकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से किसी भी कार्यशील पूँजी की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए पैरा 3 का खंड (ii) (बी)
 3. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और वर्ष के दौरान कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए रिपोर्टिंग अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के तहत कंपनी पर लागू नहीं है।
 4. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत शामिल पार्टियों को कोई ऋण या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के तहत शामिल पार्टियों को कोई निवेश या ऋण या गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और वहाँ बनाए गए नियमों के अर्थ में जमा माला जाता है। नीचे इसलिए, आदेश के पैरा 3 का खंड(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
6. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
7. वैधानिक बकायों के संबंध में :
 - a. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि और किसी भी अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि को आमतौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में कोई अविवादित राशि देय नहीं थी, जो 31 मार्च, 2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।
 - b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों का कोई बकाया नहीं है, जिसे जमा नहीं किया गया है।
8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं किया गया था या आय के रूप में प्रकट किया गया था।
9. a. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने कुल मिलाकर रु. 7168732.97 हजार 31 मार्च, 2024 तक केवल भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से, जिसमें ब्याज सहित मूलधन का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिस्थगन अवधि के तहत है और कंपनी की संपत्ति की बिक्री के साथ टैग किया गया है। तदनुसार, इसे डिफॉल्ट राशि के रूप में नहीं माना जाता है।
- b. हमारी राय में, और गमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- c. हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अभिलेखों की पुस्तकों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई नया सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है या कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए पैराग्राफ के खंड(ix)(c)(d)(e) और (f) 3 कंपनी पर लागू नहीं है।



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

10. a. कंपनी ने वर्ष के दौरान आंगभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- b. कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर वर्ष के दौरान शेयरों के अधिमान्य आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिविंचर द्वारा धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
11. a. वित्तीय विवरणों के सही और निष्क्रिय दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है। साल
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। केंद्र सरकार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक।
- c. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को काई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है, इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 का खंड (xiii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
14. a. हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- b. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
15. प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में संदर्भित निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।
16. a. हमारी जानकारी के अनुसार और जैसा बताया गया है, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- b. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।



नॉशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- c. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
- d. हमारी राय में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह की कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है।
17. हमारी राय में, और हमें प्रदान कि गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में नकद धाटा उठाया है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहिं दिया गया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी को प्रदान किए गए ऋण पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिस्थगन के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन के बारे में हमारी जानकारी योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहिं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलन पत्र की तारीख, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।
20. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 3 का खंड (xx) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

प्रेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 119728W/W100473

हस्ता/-

राकेश चतुर्वेदी

भागीदारों

एम.संख्या : 102075

यूटीआईएन : 24102075BFHKJ2511

दिनांक : May 30, 2024

जगह : मुंबई



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्हक के अंतर्गत पैरा 2 (एफ) में संदर्भित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2024 तक नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-जोखा किया है, साथ ही उस वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित आपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया है और अधिनियम की धारा 143 (10) जे तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होती हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी की जाते हैं। उन मानकों और गाइडेंट नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रादान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

- 1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
- 2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- 3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत कि संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, व्यवसाय की प्रकृति, संचालन के आकार और इकाई की संगठनात्मक संरचना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च 2024 को आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 119728W/W100473

हस्ता/-

राकेश चतुर्वेदी

भागीदारों

एम.संख्या : 102075

यूडीआईएन : 24102075BKFHKJ2511

दिनांक : May 30, 2024

जगह : मुंबई



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुबंध 3

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम उपरोक्त निर्देशों में पूछे गए प्रश्नों और सूचनाओं के उत्तर नीचे दे रहे हैं।

क्र.सं	निर्देश	हमारा उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हां कंपनी के पास आईटी सिस्टम, टैली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेने को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमें खातों की सत्यनिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रभाव वाले किसी भी मामले का पता नहीं चला है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋण/ऋण /ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है ? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।
	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति निधियों को इसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 119728W/W100473

हस्ता/-
राकेश चतुर्वेदी
भागीदारों
एम.संख्या :102075
यूडीआईएन : 24102075BFHKJ2511
दिनांक : May 30, 2024
जगह : मुंबई



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार गय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम का 143(10)। ऐसा उनकी 30 मई, 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक

हस्ता/-
(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

जगह : मुंबई
दिनांक : 11 जुलाई, 2024



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूची - 1

कम्पनी (कर्मचारी की विशिष्टीयाँ) संशोधन अधिनियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के उपबंध के अनुसरण में और 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों कि रिपोर्ट का हिस्सा बननेवाला कर्मचारियों के विशिष्टयों का विवरण.

नाम	पदनाम	आयु	पारिश्रमिक	अहर्ता	अनुभव	नियोजन	पिछला नियोजन
		वर्ष	रूपये	संख्या	वर्ष की होने की तारीख	शुरू और पदनाम	संगठन का नाम

लागू नहीं



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूची 2

कम्पनी (निदेशकों की स्पोर्ट में विशिष्टयों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 जो निदेशकों को स्पोर्ट का भाग है, द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

क. शक्ति का संरक्षण

क) शक्ति का संरक्षण के लिए किये गये उपाय :

कम्पनी सदैव शक्ति संरक्षण के प्रति सोचते रही है, शक्ति संरक्षण बनाने का वाछिंत कदम उठाया गया है।

ब) शक्ति के उपयोग में कमी लाने के लिए कोई अतिरिक्त निवेदन और प्रस्ताव काम में लायें गये है।

कुछ नहीं।

ग) उपरोक्त (क) (ख) के द्वारा किये गये उपायों की शक्ति उपयोग की कमी तथा उससे वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर पड़ा हुआ प्रभाव।

लागू नहीं।

घ) शक्ति के कुल उपयोग एवं उत्पादन कि प्रति इकाई पर होने वाले शक्ति का उपयोग की जानकारी प्रस्तावित प्रारूप क में

लागू नहीं।

ख. तकनिकी अवशोषण :

क) विशेषक्षेत्र में कम्पनी द्वारा किए अनुसंधान एवं विकास के कार्य

लागू नहीं।

ख) उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किये गये लाभ।

लागू नहीं।

ग) क्रियान्वयन की भावी योजना

लागू नहीं।

घ) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय।

लागू नहीं।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ग. विदेशी विनिमय एवं अर्जन एवं बहिंगमन
ख) कुल विदेशी विनिमय उपयोग एवं अर्जन

चालू वर्ष
रूपये लाख में

गत वर्ष

1) आयात (कच्चे माल का सिआईएफ मूल्य) भंडार, कलपुर्जे
कोयला आदि

कुछ नहीं

कुछ नहीं

2) व्यय कुछ नहीं.

कुछ नहीं

कुछ नहीं

3) अर्जन

निर्यात के एक ओबी
मूल्य निर्यात के विलम्बित भुगतान
पर व्याज

कुछ नहीं

कुछ नहीं



नैशनल बार्डसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रारूप के शक्ति के संरक्षण के संबंधित विशिष्ट्य का प्रकटीकरण

क. शक्ति एवं इंधन का उपयोग

	चालू वर्ष	गत वर्ष	2. बाष्प कोयला	
1. विद्युत			मात्रा (टन)	
क) क्रय	0.16	0.15	कुल लागत (लाख रु. में)	लागू नहीं
इकाई (कि. वा. लाखों में)			औसत दर	
कुल राशि (रु. लाखों में)	1.95	1.72		
दर / इकाई रु.	12.19	11.45	3. भट्टीका तेल	
			मात्रा (कि.)	शून्य
स्व उत्पादित			कुल राशि	शून्य
डिजल जनरेटर से इकाई (लाखों में)			औसत दर	शून्य
डिजल तेल				
लागत इकाई (रु.)			4. अन्य / अतिरिक्त उत्पादन	
स्टीम से (के. वा.)	लागू नहीं		(कृपया विवरण दे)	
लाख में इंधन तेल के			मात्रा लागू नहीं	लागू नहीं
प्रति लिटर इकाई / गैस			कुल लागत	
लागत / इकाई			दर युनिट	

लागू नहीं
लाख में इंधन तेल के
प्रति लिटर इकाई / गैस
लागत / इकाई

ख. उत्पादन कि प्रति इकाई पर उपयोग :
स्तर (यदि कोई)
उत्पादन
(साईंकिलों की संख्या) शून्य शून्य
विद्युत लागू नहीं
भट्टी का तेल कुछ नहीं कुछ नहीं
बाष्प कोयला लीटर/साई लीटर/साई
लागू नहीं लागू नहीं



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31मार्च 2024 का तुलन पत्र

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण		नोट संख्या	31मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
अ.	मै.इकिवटी दायित्व					
	शेअर धारक फंड		3	56,545.82	56,545.82	
	अ) शेयर पैमाने		4	-71,98,582.09	-71,42,036.27	-69,82,259.23
	ब) आरक्षितियाँ और अधिशेष					-69,25,713.41
	गैर चालू दायित्व		5		71,68,732.97	69,59,231.27
	अ) दीर्घकालिक उधार					
	वर्तमान देनदारियाँ		6		7,419.45	7,419.45
	(b) अन्य मौजूदा देनदारियों		7		112.35	322.53
	(c) अल्पकालिक प्रावधान					
				7,531.80		7,741.98
ब	सम्पत्ति				34,228.51	41,259.84
	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति					
	(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति		8	707.84	724.58	
	(I) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		9	1.06	1.06	
	(b) गैर वर्तमान निवेश		10	420.99	420.99	
	(c) लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम		11	93.18	93.18	1,239.80
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियाँ					
	वर्तमान संपत्ति		12	28,726.68	36,052.83	
	(a) नकद और बैंक शेष		13	33.97	37.37	
	(b) अल्पावधि ऋण और अग्रिम		14	4,244.79	3,929.83	40,020.03
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ					34,228.51	41,259.84
			1&2			
साथ के नोट्स इसका एक अभिन्न अंग हैं वित्तीय विवरण		1 to 29				
<p>सम विनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट</p> <p>एफआरएन : 119728W/W100473</p> <p>हस्ता/- राकेश चतुर्वेदी भागीदारों एम.संख्या : 102075 जगह : मुंबई दिनांक : 30 मई, 2024</p> <p>हस्ता/- (विनायक जोगलेकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीन - 08442219</p> <p>हस्ता/- (श्री अरुण कुमार दीवान) निदेशक डीन - 10170576</p> <p>हस्ता/- (नरेश कुमार) निदेशक डीन - 10043608</p>						



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 का लाभ / हानि

(रु. हजारों की संख्या में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	संचालन से राजस्व		-	-
2	अन्य कमाई	15	1,813.54	6,736.95
3	कुल मुनाफा		1,813.54	6,736.95
4	खर्च (a) कर्मचारी लाभ व्यय (b) वित्तीय खर्च (c) मूल्यहास और परिशोधन व्यय (d) अन्य खर्च	16 8 17	- 2,09,501.70 16.74 8,617.95	- 2,09,278.79 22.78 8,370.75
	कुल खर्च		2,18,136.39	2,17,672.33
5	लाभ / (हानि) पूर्व अवधि से पहले, असाधारण और असाधारण आइटम और कर		-2,16,322.85	-2,10,935.38
6	कर व्यय (a) चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय (b) पूर्व वर्ष से समबन्धित कर व्यय (c) शुद्ध चालू कर व्यय		-	-
7	लाभ/हानि वर्ष के लिए		-2,16,322.85	-2,10,935.38
8	प्रत्येक शेयर से आय (रु.1000/- प्रत्येक) (i) बुनियादी (ii) पतला	18 18	-3,825.61 -3,825.61	-3,730.33 -3,730.33
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1&2		
	वित्तीय विवरणों के साथ लगे टिप्पणियों देखें	1 to 29		
सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार				
परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए				
चार्टर्ड अकाउंटेंट				
एफआरएन : 119728W/W100473				
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से				
हस्ता/-				
राकेश चतुर्वेदी				
भागीदारों				
एम.संख्या : 102075				
जगह : मुंबई				
दिनांक : 30 मई, 2024				
हस्ता/-				
(विनायक जोगलेकर)				
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक				
हस्ता/-				
(श्री अरुण कुमार दीवान)				
निदेशक				
हस्ता/-				
(नरेश कुमार)				
निदेशक				



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(रु. हजारों की संख्या में)

नकदी प्रवाह विवरण वर्ष के लिए 31 मार्च, 2024 तक समाप्त हो गया :	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	
ए. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	-2,16,322.85	-2,10,935.37	
कार, पूर्व अवधि आइट्स और असाथारण वस्तुओं कर से पहले लाभ/हानि	-	-	
पूर्व अवधि मदों के लिए समयोजन	16.74	22.78	
गैर नकदी समयोजन निवल नकद प्रवाहों को से पहले लाभ सामंजस्य करने के लिए:	-0.06	-0.06	
मूल्यहास/पश्चोधन	2,09,501.70	2,09,278.79	
लौटाया जाता दायित्व अब लिखित वापस की आवश्यकता	-	2.60	
लाभांश आय	-	-0.06	
ब्याज व्यय	2,09,501.70	2,09,278.79	
विविध शेष वापस लिखे गए	-	-4,744.14	
ब्याज आय	-1,813.38	-1,992.33	
कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले संचालन लाभ	-8,617.95	-8370.32	
संचालन में कार्यशील पूँजी:			
व्यापार देनदारियाँ और अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	-	0.00	
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-210.18	208.22	
व्यापार प्राप्तियों में कमी /(वृद्धि)	-163.08	-63.26	
सूची में कमी /(वृद्धि)			
ऋण और अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों में कमी /(वृद्धि)	-8,991.22	-8,225.36	
(में प्रयुक्त) संचालन से उत्पन्न नकदी	-136.31	-134.25	
प्रत्यक्ष करों का भुगतान	-9,127.52	-8,359.61	
वी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
प्राप्त ब्याज	1,801.21	1,963.12	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी प्रवाह (वी)	1,801.21	1,963.12	
सी वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
लाभांश भुगतान किया (लाभांश वितरण कर सहित)	0.16	0.06	
वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	0.16	0.06	
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / कमी (ए +बी +सी)	-7,326.15	-6,396.44	
नकद और नकद समकक्ष (अथ शेष)	36,052.83	42,449.26	
	28,726.68	36,052.83	
नकद और नकद समकक्ष के रूप में वर्ष के अंत में निम्न शामिल हैं:			
चालू खाते में वैंकों के साथ शेष राशि	312.47	1,147.73	
वैंक जमा	28,397.91	34,897.91	
नकद रूपया	16.30	7.19	
नकद और नकद समकक्ष (समापन शेष राशि)	28,726.68	36,052.83	
नोट :			
उपरोक्त वयान के नकदी प्रवाह के तहत 'अप्रत्यक्ष लेखांकन मानक 3 में (AS-3), "नकद प्रवाह विवरण" बाहर सेट विधि के रूप में तैयार किया गया है।			
सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार			
परेश राकेश एंड एसेसिएट्स एलप्लानी के लिए			
चार्टर्ड अकाउंटेंट			
एफआरएन : 119728W/W100473			
हस्ता/- राकेश चतुर्वेदी भागीदारों एम.संख्या : 102075	हस्ता/- (विनायक जोगलेकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हस्ता/- (श्री अस्त्रण कुमार दीवान) निदेशक	हस्ता/- (नरेश कुमार) निदेशक
जगह : मुंबई दिनांक : 30 मई, 2024			

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नोट्स वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं

नोट	विवरण
1	<p>कॉर्पोरेट जानकारी</p> <p>नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) भारत में अधिवासित एक सीमित कंपनी है और इसके प्रावधानों के तहत निगमित है कंपनी अधिनियम 1956।</p>
2	<p>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :-</p> <p>नॅशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) भारत में अधिवासित एक सीमित कंपनी है और इसके प्रावधानों के तहत निगमित है कंपनी अधिनियम 1956।</p>
2.1	<p>लेखांकन और वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार</p> <p>कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेका सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुपालन के लिए तैयार किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और 133 के संदर्भ में, और नियम 7 के साथ पढ़ें भारत के कंपनी (लेखा)नियम 2014। वित्तीय विवरणों कि तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं पिछले वर्ष।</p>
2.2	<p>अनुमानों का उपयोग</p> <p>भारतीय जीएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट में विचार किए गए अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता है संपत्ति और देनदारियों की मात्रा (आकस्मिक देनदारियों सिहत) और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय। प्रबंधन का मानना है कि अनुमान है वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों और वास्तविक के बीच अंतर के कारण भिन्न हो सकते हैं परिणामों और अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/अमल में आते हैं।</p>
2.3	<p>संपत्ति संयंत्र और उपकरण, मूल्यहास और परिशोधन</p> <p>संपत्ति संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की वहन राशि को इसके निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रत्येक संपत्ति को सौंपे गए जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। 90 वर्ष की लीज पर ली गई लीजहोल्ड भूमि का पूंजीकृत लीज रेंटल मूल्य लीज की अवधि के दौरान वार्षिक रूप से परिशोधित किया गया है।</p>
2.4	<p>अन्य आय</p> <p>ब्याज आय को प्रोद्धवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति के आधार पर लगाया जाता है।</p>
2.5	<p>निवेश</p> <p>लंबी अवधि के निवेश लागत पर बताए गए हैं। मूल्य में स्थायी कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया गया है।</p>
2.6	<p>प्रति शेयर आय</p> <p>कर के बाद लाभ/(हानि) को भरित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है (असाधारण मदों के कर पश्चात प्रभाव सहित, यदि कोई हो) वर्ष के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की।</p>
2.7	<p>आय पर कर</p> <p>वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है। अनवशोषित मूल्यहास और घाटे को आगे ले जाने के संबंध में आस्थगित कर संपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी निश्चितता हो कि पर्याप्त भविष्य होगा ऐसी संपत्ति का एहसास करने के लिए उपलब्ध कर योग्य आय। कंपनी ने मूल्यहास को अवशोषित नहीं किया है और आयकर अधिनियम के तहत सेटऑफ के लिए उपलब्ध नुकसान को आगे बढ़ाया है, 1961 हालांकि भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए, शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों को अस-22 के संदर्भ में विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता नहीं दी गई है।</p>



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेअर पूँजी

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेअर की संख्या	रूपये	शेअर की संख्या	रूपये
क) प्रधिकृत रु. 1,000/- इक्विटी प्रत्येक मत देने के अधिकार	80,000	80,000.00	80,000	80,000.00
ब) अभिदल और प्रकल्प इक्विटी शेअर प्रत्येक रु 1000/- का मत देने का अधिकार	56,545	56,545.00	56,545	56,545.00
ग) अभिदत्त अंशत चुकता प्रत्येक शेअर रु 1000/- का मत देने का अधिकार रु 179 चुकता नहीं है.	1	0.82	1	0.82
कुल	56,546	56,546	56,546	56,546



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेअर पूँजी (सतत)

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण

नोट : अवधि के प्रारंभ और अंत पर बकाया शेअरों की संख्या का समाधानी

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	अन्तिम शेष
31 मार्च 2024 को इक्विटी शेयर मत अधिकार			
-शेयर की संख्या	56,546	-	56,546
-धनराशी	56,545.82	-	56,545.82
31 मार्च 2023 को इक्विटी शेयर मत अधिकार			
-शेयर की संख्या	56,546	-	56,546
-धनराशी	56,545.82	-	56,545.82

ब - इक्विटी शेयर के साथ संलग्न कायदे / अधिकार कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयर की कीमत रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारकों को एक मत प्रतिशेयर देने का अधिकार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों का धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष आस्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।



नॉशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 3 : शेअर पूँजी (सतत)

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण

नोट्स : प्रत्येक शेयर धारक का विवरण जिनके पास 5% शेयर से अधिक है।

शेयर वर्ग/शेयर धारकों के नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	आरक्षित शेयर की संख्या	% शेयर धारकों का अधिकार	आरक्षित शेयर की संख्या	% शेयर धारकों का अधिकार
मतदान के अधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]				
पूरी तरह से भुगतान किया गया	56,545	100.00%	56,545	100.00%
आंशिक रूप से भुगतान किया गया	1	0.00%	1	0.00%
संपूर्ण	56,546	100.00%	56,546	100.00%

शामिल हैं - नामांकित शेयरधारकों द्वारा धारित 3 (तीन) इक्विटी शेयर और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किया गया शेयर शामिल हैं।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रु. हजारों की संख्या में)

3.c वर्ष 31 मार्च 2024 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों

क्रम संख्या	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का	के दौरान % परिवर्तन वर्ष
1	भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]	56,546	100%	-
	कुल	56,546	100%	

शामिल 3 (तीन) इकिवटी शेयर नामांकित शेयर धारकों के रूप में और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर शामिल हैं

वर्ष 31 मार्च 2023 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों

क्रम संख्या	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का	के दौरान % परिवर्तन वर्ष
1	भारत के माननीय राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से) [#]	56,546	100%	-
	कुल	56,546	100%	

शामिल 3 (तीन) इकिवटी शेयर नामांकित शेयर धारकों के रूप में और 1 (एक) आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर शामिल हैं



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स
नोट 4 : आरक्षितियाँ और अधिशेष

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क) अधिशेष / शेष लाभ हानि का विवरण	रुपये	रुपये
आरम्भिक शेष	-69,82,259.23	-67,71,323.86
जमा लाभ/हानि वर्ष के लिए	-2,16,322.85	-2,10,935.37
कुल	-71,98,582.09	-69,82,259.23



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट : 5 दीर्घ कालिक उधार

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	रूपये	रूपये
अन्य उधार और अग्रिम भारत सरकार से	71,68,732.97	69,59,231.27
कुल	71,68,732.97	69,59,231.27

- नोट :- 1. मोरेटोरियम के अनुसार कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर भारत सरकार से ऋण चुकाया जाना है सरकार द्वारा प्रदान की गई अवधि। चूंकि, कंपनी गैर-चालू के रूप में संपत्ति रखती है, ऋण हैं दीर्घकालिक उधार के रूप में वर्गीकृत। 2. पुस्तकों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा पुष्टि की गई बकाया ऋण का विवरण नीचे दिया गया है :

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भारत सरकार के कुल बकाया ऋण	7,06,666.00	7,06,666.00
बकाया सामान्य ब्याज	4,54,485.83	4,54,485.83
दांडिक ब्याज	59,14,295.55	57,05,016.76
सामान्य ब्याज और दंडात्मक ब्याज उपर्युक्त लेकिन देय नहीं	93,285.60	93,062.69
कुल ऋण	71,68,732.97	69,59,231.27

नोट : ब्याज की दर 17.5% से 18.5% तक होती है और संशोधित / स्वीकृत स्वीकृति पत्र के आधार पर शुल्क लिया जाता है, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्पष्ट किया गया



नैशनल बार्सिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट : 6 व्यापार देयतायें

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार देयतायें		
सरकारी गारंटी शुल्क देय	7,419.45	7,419.45
कुल	7,419.45	7,419.45

नोट 6.1 :

भारत सरकार का लंबे समय से बकाया दावारहित / अपुष्ट शेष। इसके अलावा, नोट 10 देखें भारत सरकार से प्राप्य लम्बी बकाया राशि।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 7 : अत्य कालिक प्रावधान

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(a) खर्च के लिए प्रावधान	122.53	122.53
(b) श्रम मुआवजे का प्रावधान :	-	200.00
कुल	112.35	322.53



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 9 : गैर मौजूदा निवेश

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
			कुल			कुल
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
अ) अन्य निवेश			1.06	1.06	-	1.06
1) कोट किये गए 65 एक्सप्रो इंडिया लि. के प्रत्येक रु. 10 के शेयर पूर्वतः चुकता इक्विटी शेयर		-	2.60	2.60	-	2.60
2) जियाजीराव काटन मिल्स लि. के प्रत्येक 100 रु. के पूर्णतः प्रतिदेय, संचयी अधिमान शेयर	कुल	1.06	2.60	3.66	1.06	2.60
घटाया - प्रावधन्न	कुल			2.60		2.60
बाजार मूल्य	कुल			1.06		1.06
			80.93			47.52

9.1 जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थिति कंपनियों के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर परिसमापन के अधीन है, इसलिए कंपनी में निवेश के मूल्य के विरुद्ध प्रावधान किया गया है।

9.2 कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं।

9.3 टीटागढ़ वैगन्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 इक्विटी शेयरों में निवेश शून्य मूल्य वाली कंपनी के नाम पर भौतिक शेयर के आधार पर मान्यता प्राप्त है।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 10 : लम्बी अवधि के ऋण और अग्रिम

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है भारत सरकार से प्राप्त Refer note: 6.1	420.99	420.99
कुल	420.99	420.99

नोट 11 :- अन्य गेर चालू संपत्तियाँ

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को
सुरक्षित जमा	93.18	93.18
कुल	93.18	93.18



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 12 : नकद और बैंक में जमा राशि

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	रु.		रु.	
1. नकद और बैंक में जमा राशि				
अ) नकद हाथ में		16.30		7.19
ब) बैंक में जमा				
1) चालू खाता में		312.47		1,147.73
2) सावधि जमा में		28,397.91		34,897.91
कुल		28,726.68		36,052.83



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 13 : अत्यंत कालिक ऋण एवं अग्रिम

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पुर्वदत्त व्यय	33.97	37.37
कुल	33.97	37.37



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 14: अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(a) अर्जित		
(i) जमा राशियों पर अर्जित व्याज	78.89	66.72
(b) अन्य	-	-
(i) आयकर भुगतान	136.31	134.24
(ii) आयकर वापसी आने वाला	3,552.65	3,418.41
(ii) जीएसटी क्रेडिट	476.94	310.46
कुल	4,244.79	3,929.83



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 15 : अन्य आय

(रु. हजारों की संख्या में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(a)	बैंक जमा पर व्याज	1,810.42	1,935.19
(b)	अन्य जमा पर व्याज	2.96	57.13
(c)	विविध शेष वापिस लिखा गया	-	4,744.14
(d)	डिविडेंड	0.16	0.49
	कुल	1,813.54	6,736.95



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स

नोट 16 : वित्तीय लागत

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(a) व्याज खर्च		
(i) त्रैण	2,09,501.70	2,09,278.79
(ii) अन्य		
कुल	2,09,501.70	2,09,278.79

नोट : भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी गणना और पुष्टि के आधार पर की गयी।



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की बनने वाली नोट्स
नोट 17 : अन्य व्यय

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
विजली व्यय	195.43	171.90
पानी	61.20	63.00
किराया (पट्टापर)	33.25	24.96
मरम्मत (भवन)	466.48	391.39
मरम्मत (अन्य)	15.79	32.87
बीमा	3.56	3.56
दर एवं कर	2,542.72	2,496.28
टेलीफोन - खर्च	22.13	15.72
सुरक्षा मेन्टेनेस व्यय	2,688.30	2,438.14
यात्रा और सवारी खर्च	178.79	106.34
छपाई एवं लेखन सामग्री	34.85	31.04
कानूनी और व्यवसायिक शुल्क	1,067.82	1,057.59
लेखा परीक्षकों को भुगतान :	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क (सनदी लेखाकार)	35.00	35.00
वेब साइट खर्च	25.00	25.00
अन्य व्यय	1,247.63	1,277.97
श्रम मुआवजा (ट्रिव्यूनल आदेश के अनुसार)		200.00
निवेश में कर्मी पर प्रावधान		
कुल	8,617.95	8,370.75



नैशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय लेखों की बनने वाले नोट्स

नोट 18 : लेखा पालिसी के अन्तर्गत प्रकट : (सतत)

(रु. हजारों की संख्या में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रति शेयर उपार्जन वैसिक		
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (रुपए हजारों में)	-2,16,322.85	-2,10,935.38
इकियटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,546.00	56,546.00
प्रति शेयर बराबर मूल्य	1,000.00	1,000.00
निरंतर संचालन से प्रति शेयर आय - मूल	-3,825.61	-3,730.33



नैशनल बार्फिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

19 अनुपात प्रकटीकरण

क्रमांक	विवरण	सूत्र	२०२३-२४	२०२२-२३	% भिन्नता (हानिकर (-)/ अनुकूल (+) परिवर्तन	टिप्पणियां
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संघर्षित वर्तमान देनदारियां	4.38	5.17	-15.23%	लागू नहीं
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण * कुल इक्विटी	-1.00	-1.00	0%	लागू नहीं
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	व्याज, कर और से पहले आय असाधारण आइटम व्याज व्यय+ मूलधन अवधि के दौरान देय चुकौती	-0.00	-0.00	0%	के कारण भिन्नता अन्य आय में कमी साल के दौरान
4	टैक्स के बाद इक्विटी	प्रोफिट पर रिटर्न (के कारण मालिक) ओसत नेट वर्ष	0.01	0.01	-23.11%	के कारण भिन्नता अन्य आय में कमी साल के दौरान
5	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद लाभ (असाधारण के बाद सामान) विक्री और सेवाओं का मूल्य+ अन्य आय	-119.28	-31.31	280.97%	के कारण भिन्नता अन्य आय में कमी साल के दौरान
6	रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड	टैक्स के बाद शुद्ध लाभ+ आरक्षणित टैक्स व्यय/ (आय)+ वित्त लाभ (-) अन्य आय ओसत पूँजी नियोजित*	-0.29	-0.15	91.20%	के कारण भिन्नता अन्य आय में कमी साल के दौरान
7	निवेश पर वापसी	अन्य आय (लाभांश को छोड़कर) ओसत नकद, नकद समकक्ष और अन्य विषयन योग्य प्रतिशूलि	0.01	0.01	39.98%	के कारण भिन्नता अन्य आय में कमी साल के दौरान

20. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :

- i) सरकार के अनुसार वेतनमान के गैर संशोधन के लिए श्रम मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील याचिका। कार्यालय आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित राशि प्रबंधन द्वारा मात्रात्मक नहीं है।
- ii) कंपनी के खिलाफ 2 मामले जो 31 मार्च 2023 तक क्रेंद सरकार, औद्योगक न्यायाधिकरण दिल्ली में बखास्त किए गए श्रमिकों की बहाली के लिए लंबित थे, न्यायाधिकारण द्वारा 17 अप्रैल 2023, को कंपनी के पक्ष में आदेश दिया गया है और कुछ भी दिया नहीं है। 108 मई 2023 के अलग-अलग आदेशों के माध्यम से निर्णय लिया गया है और कुछ भी दिया नहीं है। 108 मई 2023 के आदेश के तहत, ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को पर्णीकत किया है, जिसका अनुमान लगभग 200.00 हजार रुपये है, जिसके लिए 31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरण जारी किया गया है। जिसका चालू वर्ष में भुगतान किया गया।

21. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां, व्यापार देय और दीर्घावधि ऋण और अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

22. कंपनी को बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 (i) (o) के प्रावधानों के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित किया गया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) ने निष्कर्ष निकाला कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। हालाँकि, उच्च न्यायालय के दिनांक 19 दिसंबर 2019 के आदेश के अनुसार, बीआईएफआर द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 1993 को परिसमाप्त का आदेश दिया गया था। 1992 के 5 को वापस बुला लिया गया। कंपनी ने ठ गोइंग-कंसर्न की मौलिक लेखांकन धारणा के आधार पर खाते तैयार किए हैं:



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- a) कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और बैंक शेष रखती है।
- b) लंबी अवधि की देनदारियों के संबंध में जो भारत सरकार द्वारा अधिस्थगन के अधीन हैं और केवल कंपनी की संपत्ति की बिक्री पर देय / देय हैं, प्रबंधन ऐसी संपत्तियों की बिक्री आय से इस तरह की लंबी अवधि की देनदारियों को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। बेचा। कंपनी द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वसूली योग्य मूल्य इसकी दीर्घकालिक देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त है। संपत्ति का मूल्य रूपये के बराबर है। ₹.1013 करोड़, कलेक्टर गजियाबाद के कार्यालय द्वारा मूल्यांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ₹. 63 करोड़ दिनांक 22.06.2018, कार्यालय कलेक्टर, मुंबई ₹. 935 करोड़ और ₹. 1 मुंबई में आवासीय फ्लैट के ₹. 15 करोड़ क्रमशः दिनांक 17.06.2020 और 19.03.2018 धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, भारत सरकार के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने चालू चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और यह कि संपत्ति और देनदारियों के वहन मूल्य के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।
- 23.** प्रबंधन की राय में, वर्तमान संपत्तियां, दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर हैं जिस पर उन्हें बताया गया है और सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधन पर्याप्त है और अधिक नहीं है आवश्यकताओं की।
- 24.** प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम को कोई राशि देय नहीं है MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार उद्यम।
- 25.** कंपनी ने अग्रेषित व्यावसायिक घाटे के रूप में आस्थगित कर संपत्ति की है, भविष्य के व्यापार लाभ की उचित निश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।
- 26.** प्रबंधन द्वारा संबंधित पार्टी के साथ कोई रिपोर्ट करने योग्य लेन-देन की पहचान नहीं की गई है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी लेखांकन मानक 18 के अनुसार खुलासा किया जान आवश्यक है।
- 27.** अनुसूची III में संशोधन कि आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए आवश्यक होने पर पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- 28.** आंकड़ों को निकटतम हजार रूपये तक पूर्णांकित किया गया है।
- 29.** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक प्रकटीकरण
- (१) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
 - (२) कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत (कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो) पर ले जाया जाता है, इसलिए अनुसूची III (संशोधित) की अतिरिक्त नियामक जानकारी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रकटीकरण आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, लागू नहीं है।
 - (३) कंपनियों ने संबंधित पार्टी को कोई ऋण नहीं दिया है।



नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(४) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(५) कंपनी के पास बैंक से स्वीकृत कोई सुविधा नहीं है।

(६) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानबूझकर चक्रकर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(७) कंपनी की भारत में या भारत के बाहर कोई सहायक कंपनी नहीं है।

(८) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(९) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को इस समझ के साथ धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थः :

(ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या

(बी) अंतिम लाभार्थी को या उसकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करना

(१०) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनीः :

(ए) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

(बी) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा

(११) कंपनी ने किसी भी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी लेनदेन में काम नहीं किया है।

(१२) वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में खातों की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त आय के अलावा किसी भी आय का खुलासा या आत्मसमर्पण नहीं किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

परेश राकेश एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 104664W/W100743

हस्ता/-
(सीए राकेश चतुर्वेदी)
भागीदारों
एम.संख्या : 102075

जगह : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2024

हस्ता/-
विनायक जोगलेकर
अध्यक्ष और एमडी

हस्ता/-
श्री अरुण कुमार दीवान
निदेशक

हस्ता/-
नरेश कुमार
निदेशक